अनुबंध I

फॉर्म - ए

(ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा
प्रस्तुत किया जाए जो राज्य/कंद्र सहकारी बैंक नहीं है)

शुक्रवार[1] दिनांक को कारोबार बंद होने के समय स्थिति का विवरण
(निकटतम हजार की राशि तक पूर्णांकित)

बैंक का नाम :

1. **भारत[2] में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं**

क) बैंकों से मांग तथा मीयादी देयताएं

ख) बैंकों[3] से उधार

ग) अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं[4]

1 का जोड़

II. **भारत में अन्यों के प्रति देयताएं**

क) कुल जमाराशियां (बैंकों से इतर)

i) मांग

ii) मीयादी

ख) उधार[5]

ग) अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं

II का जोड़

---

[1] जहां किसी अनुसूचित बैंक के एक अथवा अधिक कार्यालयों में शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(1881 का 26) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश है, तो ऐसे कार्यालय अथवा कार्यालयों के संबंध में विवरण में पूर्ववर्ती कारोबार के दिन का आंकड़ा दिया जाएगा लेकिन फिर भी उसे उस शुक्रवार से संबंधित समझा जाएगा।

[2] इस विववरण में जहां कहीं भी "बैंकिंग प्रणाली" अथवा "बैंक" शब्द आता है उसका अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उप खंड (1) से (vi)में संदर्भित बैंक तथा कोई अन्य वित्तीय संस्थाएं।

[3] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में प्रायोजक बैंक को छोड़कर

[4] यदि 1(ग) के समक्ष II (ग) से अलग आंकड़ा देना संभव नहीं है, तो उसे II (ग) के समक्ष दिए गए आंकड़े में शामिल किया जाए। ऐसे मामले में बैंक प्रणाली के प्रति निवल देयता की गणना III के कुल आंकड़े से अधिक 1(क) तथा 1 (ख) की जोड़ की राशि यदि हो, के रूप में की जाएगी।

[5] . भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से उधार

I + II का जोड़

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां

क) बैंकों के पास शेष

(i) चालू खाते में

(ii) अन्य खाते में

ख) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

ग) बैंकों को अग्रिम अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशियां

घ) अन्य आस्तियां

III का जोड़

IV. **भारत में नकदी** (अर्थात् हाथ में नकदी)

V. **भारत में निवेश** (बही मूल्य पर)

क) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां जिनमें खजाना बिल, खजाना जमा रसीद, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र तथा पोस्टल दायित्व शामिल हैं ।

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

V का जोड़

VI. **भारत में बैंक ऋण** (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

क) ऋण, नकद ऋण तथा ओवरड्राफ्ट

ख) खरीदे तथा भुनाए गए देशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

ग) खरीदे तथा भुनाए गए विदेशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

VI का जोड़

III+ IV+ V+ VI को जोड़

क. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयता + भारत में अन्यों के प्रति देयताएं अर्थात् (I - III) + II, यदि (I - III) धनात्मक आंकड़ा है तो अथवा यदि (I - III) ऋणात्मक आंकड़ा है तो केवल II।

ख) बचत बैंक खाता (विनियम 7 के अंतर्गत)

भारत में मांग देयताएं

भारत में मीयादी देयताएं

स्थान :

तारीख :

फॉर्म ए का ज्ञापन

1. प्रदत्त पूंजी

1.1 आरक्षित निधियां

2. मीयादी जमाराशियां

2.1 अल्पावधि

2.2 दीर्घावधि

3. जमा प्रमाणपत्र

4. **निवल मांग तथा मीयादी देयताएं** (शून्य आरक्षित निधि निर्धारण वाली देयताओं की कटौती के बाद, अनुबंध क)

5. **सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार रखी जाने वाली अपेक्षित जमाराशि**

6. **ऐसी कोई अन्य देयता जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 तथा 42 (1क) के अंतर्गत भारिबैं के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीआरआर रखना आवश्यक है।**

7. **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 तथा 42 (1क) के अंतर्गत रखा जाने वाला अपेक्षित कुल सीआरआर ।**

अनुबंध क

(निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

बैंक का नाम :

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य	ब्याज
1	2	3	4
<u>विदेशी मुद्रा देयताएं</u> भारत में अन्यों के प्रति विदेशी मुद्रा देयता 1. अनिवासी जमाराशियां (1.1 + 1.2 + 1.3+ 1.4) 1.1 अनिवासी विदेशी रुपया खाता (एनआरई) 1.2 अनिवासी साधारण जमा (एनआरओ) 1.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना (एफसीएनआर(बी) (1.3.1 + 1.3.2) 1.3.1 अल्पावधि [1] 1.3.2 दीर्घावधि [2] 1.4 अन्य (उल्लेख करें)			
II. **विदेशी मुद्रा अन्य जमाराशियां /योजनाएं** (II.1 + II.2 + II.3+ II.4 + II.5 + II.6) II.1 विदेशी मुद्रा अर्जक की विदेशी मुद्रा II.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाते **(**II.**2**.1+II.2.2) II.2.1 निवासी विदेशी मुद्रा (पुरानी योजना) II.2.2 निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) (नयी योजना) II.3 भारतीय निर्यातकों के एस्क्रो खाते II.4 पोतलदान पूर्व ऋण खाते के लिए विदेशी ऋण व्यवस्था तथा बिलों की विदेशी पुनर्भुनाई II.5 एसीयू (अमेरिकी डालर) खाते में जमा शेष II.6 अन्य (उल्लेख करें)			
III. **भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएं** (III.1 + III.2)			

III.1 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियां III.2 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा उधार			
IV. **विदेशी उधार** [3]			
विदेशी मुद्रा आस्तियां			
1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां 1.1 विदेशी मुद्रा उधार 1.2 अन्य 2. भारत में अन्यों के पास आस्तियां 2.1 भारत में विदेशी मुद्रा [4] में बैंक ऋण 2.2 अन्य 3. विदेशों में विदेशी मुद्रा आस्तियां [5]			

1. एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले
2. एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले
3. रुपयों में स्वैप न किए गए भाग से संबंधित
4. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से ऋण
5. विदेशों में धारित शेष राशियां अर्थात् i) नॉस्ट्रो खाते का नकद घटक, एसीयू (अमरिकी डालर) खाते में नामे शेष तथा एसीयू देशों के वाणिज्य बैंकों में जमा शेष) ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियां तथा पात्र प्रतिभूतियों में निवेश iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखत जिनमें खजाना बिल शामिल हैं तथा iv) विदेशी शेयर तथा बॉण्ड।

	निकटतम हजार तक पूर्णांकित राशि (रुपये में)
V. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्यों के प्रति बाहरी देयताएं (I + II) VI. सीआरआर के पूर्णत: निर्धारण के अधीन बाहरी देयताएं (IV) VII. निवल अंतर-बैंक देयताएं (फॉर्म ए का I-III) VIII. शून्य सीआरआर निर्धारण के दायरे के भीतर आने वाली कोई अन्य देयताएं VIII.1 सीबीएलओ VIII.2 ओबीयू VIII.3 शून्य निर्धारण के अन्तर्गत अन्य देयताएँ (3) VIII.4 शून्य निर्धारण के अन्तर्गत अन्य देयताएँ (4) VIII.5 शून्य निर्धारण के अन्तर्गत अन्य देयताएँ (5) IX. शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन देयताएं	

(V+VII+VIII)	
ज्ञापन की मदें	
1.अन्तर बैंक देयताएँ	
1.1 कुल अन्तर बैंक देयताएँ	
1.2 घटाएँ: मीयादी देयताएँ (परिपक्वता >= 15 दिन और 1 वर्ष तक)	
1.3 निवल (1.1-1.2)	
2.अन्तर बैंक आस्तियाँ	
2.1 कुल अन्तर बैंक आस्तियाँ	
2.2 घटाएँ: मीयादी आस्तियाँ (परिपक्वता >= 15 दिन और 1 वर्ष तक)	
2.3 निवल (2.1-2.2)	
3. एसीयू डॉलर निधि	

प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

1. पदनाम

2. पदनाम

अनुबंध ख

बैंक का नाम :

(राशि निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य
1	2	3
I. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (1.1 + 1.2) I.1 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (I.1.1+I.1.2 = फॉर्म ए का मद V (क) I.1.1 अल्पावधि [1] I.1.2 दीर्घावधि [2] I.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश [= फॉर्म ए का मद V (ख)] II.गैर- अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (II.1+II.2+II.3+II.4) निम्नलिखित में निवेश II.1 वाणिज्यिक पत्र II.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य म्युच्युअल पंॅ€डों की यूनिटें II.3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर II.3.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम II.3.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र II.3.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं II.3.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) II.4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड/डिबेंचर II.4.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम II.4.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र II.4.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं II.4.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) II.5 प्राथमिकता क्षेत्र उधार में कमी के लिए जमा (आरआइडीएफ, सिडबी आदि)		
ज्ञापन की मदें		
1. प्राथमिक बाज़ार में शेयर/डिबेंचर/बांड में अभिदान 2. प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अभिदान		

प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

(पदनाम)

(पदनाम)

[1] एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले

2 एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले

3